



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 637]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 28, 2000/आश्विन 6, 1922

No. 637]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 28, 2000/ASVINA 6, 1922

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2000

का.आ. 897(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (दो सौ बावनवां संशोधन) नियम, 2000 है।
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।
- भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 की, दूसरी अनुसूची में,—
(क) "कृषि मंत्रालय" शीर्ष के अधीन, "क. कृषि और सहकारिता विभाग" उपशीर्ष के अंतर्गत, प्रविष्टि 38 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
"38. अखिल भारतीय, अंचल अथवा क्षेत्र स्तर पर उर्वरक और खाद मांगों का आकलन; अंचलों या क्षेत्रों के लिए लक्ष्यों का पोषण धार नियतन।";
(ख) "रसायन और उर्वरक मंत्रालय" शीर्ष के अधीन, "ख. उर्वरक विभाग" उपशीर्ष के अंतर्गत, प्रविष्टि 2 और 3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—
"2. कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार, यूरिया के संचलन और वितरण के लिए आबंटन और पूर्ति संपर्क।
3. नियंत्रित और अनियंत्रित उर्वरकों के लिए रियायत योजनाओं का प्रशासन और सब्सिडी का प्रबंध, जिसके अंतर्गत यूरिया के प्रतिधारण मूल्य, अनियंत्रित उर्वरकों की रियायत की मात्रा और ऐसे उर्वरकों की लागत का निर्धारण भी है।"

के. आर. नारायणन

राष्ट्रपति

[फा. सं० 1/22/1/2000-मंत्रि०]

वी० के० गाबा, उप-सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2000

S.O. 897 (E).— In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Two hundred and fifty - second Amendment) Rules, 2000.

(3) They shall come into force at once.

3. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in the Second Schedule,-

(A) under the heading "MINISTRY OF AGRICULTURE (KRISHI MANTRALAYA)", under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION (KRISHI AUR SAHKARITA VIBHAG)", for entry 38, the following entry shall be substituted, namely:-

"38. Projection of demand of fertilizers and manures at all-India, zone or region level; fixation of targets, nutrient-wise, for zones or regions.";

(B) under the heading "MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (RASAYAN AUR URVARAK MANTRALAYA)", under the sub-heading "B. DEPARTMENT OF FERTILIZERS (URVARAK VIBHAG)", for entries 2 and 3, the following entries shall be substituted, namely:-

"2. Allocation and supply linkages for movement and distribution of urea in terms of assessment made by the Department of Agriculture and Cooperation.

3. Administration of concession schemes and management of subsidy for controlled as well as decontrolled fertilizers including determination of retention price for urea, quantum of concession of decontrolled fertilizers and costing of such fertilizers."

K. R. NARAYANAN
PRESIDENT

[F. No. 1/22/1/2000-Cab.]
V. K. GAUBA, Dy. Secy.